सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 4- जल उपभोक्ता समितियों के काम-काज

विषय 4.2- जल उपभोक्ता समितियों की सामान्य सभा और प्रबंध समिति की बैठकें

विषय-4.2

जल उपभोक्ता समितियों की सामान्य सभा और प्रबंध समिति की बैठकें

मॉड्यूल-4 के विषय

4.1 जल उपभोक्ता समितियों के दैनिक काम-काज

4,2 जल उपयोक्ता संगम की सामान्य सभा और प्रबंध समिति की बैठकें

4.3 प्रबन्ध समिति से त्याग पत्र, वापिस बुलाना और समिति का विघटन /पुनर्गठन करना

4.4 समितियों की शक्तियां तथा सिंचाई प्रबन्ध का हस्तान्तरण

1. जल उपयोक्ता संगम की सामान्य सभा और प्रबंध समिति की बैठकें

1) **प्रबन्ध समिति की बैठकें-** डब्लू यू ए की प्रबन्ध समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जावे तथा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार भी बुलाई जा सकती है।

2) **प्रबन्ध समिति की बैठक की अध्यक्षता**- समिति के अध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित इसके किसी सदस्य द्वारा की जावेगी ।

3) **गणपूर्ति**- प्रबन्ध समिति की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई से या जो निर्धारित किया गया हो से होगी। जैसे आन्ध्रप्रदेश PIM Rules 15(6) -1/3 से उत्तर प्रदेश PIM Manual 46(4) - 1/2 से, गुजरात PIM Act Sec 36(3)b तीन सदस्यों से कम नहीं, राजस्थान PIM Rules 45(6) से 1/3 आदि ।

4) **गणपूर्ति नहीं हो तो** -यदि गणपूर्ति नहीं हो तो अगले दिन या जैसा निर्धारित हो पुनः स्थगित बैठक बुलाई जावेगी जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

5) **संकल्प**- सभी संकल्प (resolution) उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किये जावेंगे। यदि मत बराबर हो तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति एक अतिरिक्त दूसरा निर्णायक मत दे सकेगा।

2- साधारण निकाय (General Body) की बैठकें-

1) **साधारण निकाये की बैठकें** : सामान्यतया वर्ष में दो बार खरीफ और रबी के पूर्व की जानी चाहिए किंतु आवश्यकतानुसार इसे इससे अधिक बार भी किया जा सकता है।

2) **बैठक की अध्यक्षता**- साधारण निकाये की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा तथा इस की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित किसी एक सदस्य द्वारा की जावेगी।

3) **गणपूर्ति-** साधारण निकाय की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यां के एक तिहाई सदस्यों या जो भी निर्धारित हो से होगी । - जैसे आन्ध्रप्रदेश PIM Rules 12(1) -1/3 से उत्तर प्रदेश PIM Rules (22)- 1/5 से, गुजरात PIM Act Sec 8(2)b -1/3 से, राजस्थान PIM Rules 41(1)-1/3 से

4) **गणपूर्ति नहीं हो तो**- गणपूर्ति नहीं हो तो बैठक स्थगित की जावेगी तथा अगली स्थगित बैठक दो दिन या जो भी बैठक के नोटिस में निर्धारित किया गया हो के पश्चात होगी तथा स्थगित बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

5) **संकल्प**- सभी संकल्प (resolution) उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होंगे। यदि मत बराबर हो तो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक अतिरिक्त दूसरा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।